राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1552/2025

महावीर प्रसाद बैरवा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सवाई माधोपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खंडार, जिला सवाई माधोपुर।
4. श्री भगवती प्रसाद शर्मा, ग्राम सेवक एवं सचिव, गांव टोडरा, पंचायत समिति खंडार, जिला सवाई माधोपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, केवियटर

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम सेवक एवं सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) के पद पर ग्राम पंचायत टोडरा, पंचायत समिति खंडार, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से ग्राम पंचायत मेई कलां में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी की जन्म दिनांक 13.06.1965 है तथा अपीलार्थी राजकीय सेवा से दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत होने वाला है (अनुलग्नक—2)। माननीय उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के अंतिम समय में किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण करना विधि—विरूद्ध माना है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक—3) के द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पंचायत दौलतपुरा से ग्राम पंचायत टोडरा में स्थानान्तरण किया गया था, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक—4) को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक वर्ष के भीतर पुनः स्थानान्तरण पंचायती राज अधिनियम—1994 एवं

नियम–1996 के नियमों के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यरत रहने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम सेवक एवं सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) के पद पर गांव टोडरा, पंचायत समिति खंडार, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से ग्राम पंचायत मेई कलां, में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। यह स्थानान्तरण प्रशासन एवं स्थायी समिति, पंचायत समिति सवाई माधोपुर की बैठक दिनांक 15.01.2025 के लिये गये निर्णय की पालना में जारी किया गया है। अतः आलोच्य आदेश में कोई नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)